# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

**अपील सं0 :– 05/2017** **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. समसू खां पुत्र सुमेर खां जाति मेव,
2. सरसू खां पुत्र सुमेर खां जाति मेव निवासीयान ग्राम चपराडा तहसील रामगढ़ ।

............. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ अलवर ।

............... रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार कांवत अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

**::: निर्णय :::**

**दिनांक :– 07.11.2017**

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दि0 26.04.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दि0 16.09.2016 जिसके तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम सहाडोली तहसील रामगढ़ की सरकारी बंजड भूमि आराजी ख0 नं0 735 रकबा 0.62 है0 गै0मु0 बंजड़ में से 0.20 है0 से बेदखल करने व शास्ती कायम करने व तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 26.04.2017 को अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दि0 26.04.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी ख0 नं0 735 रकबा 0.62 है0 गै0मु0 बंजड़ में से 0.20 है0 पर गैर सायलान/अपीलांटान का कब्जा

होना जाहिर किया है जबकि जमीन बंजड़ है, उस पर ना कभी कोई क़ाश्त हुई है । पटवारी हल्का द्वारा गलत ढंग से रिपोर्ट बनाकर तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ में पेश की है । भूमि नाकाबिल काश्त है जिस पर काश्त करना सम्भव नहीं है ।

पटवारी हल्का के विवादित आराजी के कब्जे बाबत कोई बयान नहीं लिये गये तथा ना ही पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिया गया बल्कि छपे छपाये बयानों पर पटवारी ने अपीलांट से हस्ताक्षर करवा लिये है ।

हम अपीलांटान ने कोई तहरीर लिखकर पेश नहीं की थी । हम अपीलांटान पढ़े लिखे नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब नोटिस स्वयं लिखकर एवं टाईप कराकर हमसे हमारे अंगूठे निशानी करवा ली तथा उक्त दस्तावेज हमें पढ़कर तहत न्यायालय ने नहीं सुनाये एवं न ही समझाये ।

हम अपीलांट इस बात का शपथपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है कि हमारे द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है । विवादित आराजी पर अब हमारा कोई कब्जा नहीं है ।

अतः अधीनस्थ न्यायालय के दोनों निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी चारागाह की है जिस पर उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 16.09.2016 को यथावत रखते हुए अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास व जुर्माने व बेदखली के आदेश को यथावत रखा है । इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलांट ने सरकारी बंजड आराजी पर कब्जा किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली आदेश न्यायोचित है ।

सिविल कारावास के क्रम में केवल पटवारी की रिपोर्ट लगायी गयी है । इस पटवारी रिपोर्ट की नकल की पुष्टि तहसीलदार द्वारा तत्समय के पटवारी हल्का के बयान कराये गये हैं ।

अभिभाषकगण इस बात का शपथपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है कि उनके द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है और वर्तमान में उनका कोई विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने सजा पर किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है ।

इस न्यायालय में अपीलांट ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी पर अब उसने अतिक्रमण हटा लिया है तथा अब कोई अतिक्रमण नहीं है ।

7/11

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दि0 26.04.2017 व तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 16.09.2016 सजा की सीमा तक निरस्त किये जाते है तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णयं आज दिनांक 7.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/11/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर